अविप्रा अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

क्रमांकः अ.वि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2023/ 4423 दिनांकः 5-12-2023

श्रीमती अंजुमफातेमा पत्नी श्री सैयद शाहिद मोइनी
श्री अजीज वासे पुत्र श्री सैयद अब्दुल वासे
श्रीमती रेहाना वासे पत्नी श्री सैयद अब्दुल वासे
श्री सैयद अब्दुल रहमान पुत्र श्री सैयद अब्दुल वासे
श्री सैयद अब्दुल शाफे पुत्र श्री सैयद अब्दुल वासे
निवासी– महल इमामबाड़ा, शोरग्रान मोहल्ला, अजमेर।

विषयः–राजस्व ग्राम कायड़, के खसरा संख्या 2771 कुल क्षेत्रफल 15611.25 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना के तहत ले–आउट प्लान स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम कायड़, के खसरा संख्या 2771 कुल क्षेत्रफल 15611.25 वर्गमीटर भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 03/2023 वीं बैठक दिनांक 10.05.2023 में प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले–आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :–

1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा की ओर पहुंचमार्ग की चौड़ाई 18 मी. रखे जाने हेतु मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि क्षेत्रफल 402.44 व.मी. एवं उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर 18 मी. चौडी सेक्टर रोड़ हेतु निःशुल्क समर्पित भूमि क्षेत्रफल 2448.74 व.मी. पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
2. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानो की सुनिश्चित्त आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
3. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगेतथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
4. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे।
6. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टो के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यलय में प्रेषित की जानी होगी।
7. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जावे।

F:\E\Deepak devnani\All Letters\letter..docx

8. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।

स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक : अविप्रा. / प.3 / नियोजन शाखा / 2023 / दिनांक :

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त (उत्तर,) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. रक्षित पत्रावली के साथ ले–आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर ड्राईंग रिकॉर्ड में संधारण हेतु।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

F:\E\Deepak devnani\All Letters\letter..docx

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अविप्रा

टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर

Web Site – ada.rajasthan.gov.in
Tel. No. – 0145-26277748, 2627749

E-Mail – ajmerada@gmail.com

International Year of Cooperatives 2025

संशोधित पत्र

क्रमांकः अ.वि.प्रा. / प.3 / नियोजन शाखा / 2025–26 / निगमन F 1042/638 **दिनांकः** 10-07-2025

श्रीमती अंजुमफातेमा पत्नी श्री सैयद शाहिद मोइनी
श्री अजीज वासे पुत्र श्री सैयद अब्दुल वासे
श्रीमती रेहाना वासे पत्नी श्री सैयद अब्दुल वासे
श्री सैयद अब्दुल रहमान पुत्र श्री सैयद अब्दुल वासे
श्री सैयद अब्दुल शाफे पुत्र श्री सैयद अब्दुल वासे
निवासीः– महल इमामबाड़ा, शोरग्रान मोहल्ला, अजमेर।

विषयः– राजस्व ग्राम **कायड़** के खसरा संख्या **2771** रकबा **15208.81** व.मी. भूमि का आवासीय योजना के तहत ले–आउट प्लान स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम **कायड़** के खसरा संख्या **2771** रकबा **15208.81 व.मी.** भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की **03/2023वीं बैठक दिनांक 10.05.2023 में प्रस्ताव संख्या 02** द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले–आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तो की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :–

1. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में कोई निर्माण नही होने की सुनिश्चितता उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावेगी।
2. अनुमोदित मानचित्रानुसार मौके पर सुविधा क्षेत्र, सडक, पार्क इत्यादि के डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान संबंधित अग्रिम कार्यवाही प्रार्थी द्वारा की जावें।
3. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानो की सुनिश्चितत आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
4. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
5. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यंत्र सडक के सहारें शिफ्ट किया जावें जिसकी सुनिश्चिता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावेगा।
6. यदि योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम है, तो भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Elevated Service Reservior का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियान्त्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
7. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया राशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे। इसी क्रम में योजना में सृजित भूखण्डो के स्थल मानचित्रों में रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टो के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यलय में प्रेषित की जानी होगी।
10. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जावे।
11. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी। इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे की प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है तथा किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नही है, इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
12. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।
13. **पूर्व में जारी पत्र क्रमांक अविप्रा/प.3/नियोजन शाखा/2023/4423 दिनांक 05.12.2023 में कुल क्षेत्रफल 15611.25 टंकीर्ण त्रुटि के कारण लिखा गया हैं, जिसे स्वीकृत ले–आउट प्लान में क्षेत्रफल 15208.81 पढ़ा व लिखा जावें।**

स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

(महेन्द्र चौधरी)
निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

क्रमांक : अविप्रा./प.3/नियोजन शाखा/2025–26/ 639-640 **दिनांक :** 10-07-2025

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त (उत्तर,) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. रक्षित पत्रावली के साथ ले–आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर ड्राईग रिकॉर्ड में संधारण हेतु।

Signature valid
Digitally signed by Mahender Chaudhary
Designation: Director Planning
Date: 2025.07.10 ...:31 IST
Reason: Approved

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक/प्राधिकरण/नियमन प.12/2025–2026/988 **दिनांक : 14/8/25**

निमित :–

श्रीमती अंजुमफातेता पत्नी श्री सैयद शाहिद मोइनी
श्रीमती रेहाना बानो पत्नी श्री सैयद अब्दुल वासे
श्रीमती अजीज वासे पुत्र श्री सैयद अब्दुल वासे
श्री सैयद अब्दुल रहमान पुत्र श्री सैयद अब्दुल वासे
श्री सैयद अब्दुल शाफे पुत्र श्री सैयद अब्दुल वासे
निवासीगण–महल इमामबाड़ा शोरग्राम मौहल्ला, अजमेर

विषयः– ग्राम कायड के खसरा संख्या 2771 में आन्तरिक विकास कार्य की समयावधि बढाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में खसरा संख्या 2771 कुल रकबा 15208.81 व.मी. ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर की आवासीय योजना में आन्तरिक विकास कार्य की समयावधि विस्तार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत योजना का अनुमोदन पूर्व में बी.पी.सी. एल.पी. की बैठक दिनांक 10.05.2023 के प्रस्ताव संख्या 2 में अनुमोदित किया गया जिसकी पालना में प्रश्नगत योजना मानचित्र दिनांक 05.12.2023 को डिस्पेच कर जारी किया गया। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 (10 हैक्टेयर तक) के बिन्दु संख्या 12(अ) टेबल–सी अनुसार 2 हैक्टेयर तक की आवासीय योजना में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करवाने हेतु 18 माह का समय निर्धारित है साथ ही निर्देशित किया गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित रूपान्तरण/नियमन शुल्क का 10 प्रतिशत शास्ति के रूप में वसूल करते हुए आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि को 2 वर्ष तक बढाया जा सकता है। यह योजना 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्र की है तथा योजना में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह पूर्ण हो चुकी है।

प्रकरण में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात आप द्वारा प्रचलित रूपान्तरण/नियमन शुल्क का 10 प्रतिशत शास्ति के रूप में राशि रूपये 447429/– जरिये रसीद संख्या DA-AJMER/CR/38780 दिनांक 13.08.2025 को प्राधिकरण कोष में जमा जा चुकी है। अतः योजना के अनुमोदित मानचित्र अनुसार योजना में आन्तरिक विकास कार्य की समयावधि 2 वर्ष तक निम्न शर्तों के साथ बढायी जाती है–

1. आन्तरिक विकास के एवज में रहन रखे गये भूखण्ड संख्या 5, 6, 7, 8, 34, 35, 36, 37, 38 विकास कार्य नियत समयावधि में पूर्ण करवाने के पश्चात ही रहन मुक्त किया जायेगा।
2. उक्त योजना का रैरा पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। रैरा पंजीयन होने के उपरान्त ही योजना के शेष भूखण्डों के पट्टा–विलेख जारी किये जायेंगें।
3. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी/एकीकृत भवन विनियम के प्रावधानों की पालना करनी होंगी।
4. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये उपयोग अनुसार ही उपयोग किया जायेगा, मौके पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जायेगा।
5. अनुमोदित मानचित्र अनुसार शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपायुक्त (उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

Signature valid
Digitally signed by Surya Kant Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.14 15:58:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17173534
eSign 1.0

MEDI TOWN COLONY LAYOUT

SCALE : - 1 : 700

प्रशासन शहरो के सग अभियान 2021 के अन्तर्गत

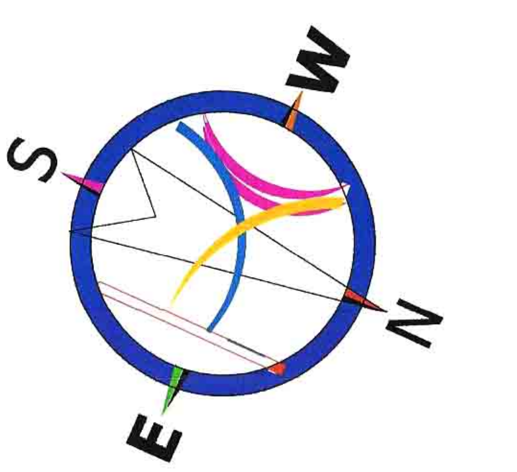

NOTE :
1. LAYOUT PLAN APPROVED VIDE AGENDA NO. 02 OF BUILDING PLAN COMMITTEE'S (LAYOUT PLAN) 03/2023 MEETING. DATED 10.05.2023
2. THIS IS THE ONLY TECHNICAL APPROVAL AS PER TOWNSHIP POLICY, IT MUST NOT BE CONSIDERED DOCUMENT OF OWNERSHIP.
3. LAYOUT PLAN IS TO BE READ WITH ORDER NO. ADA/P.12/NIYAMAN/ 4423-25 DATED 05-12-2023

COM. PLOT	AREA (SQ.MTRS.)
C-1	205.04 SQ.MTRS.
C-2	131.72 SQ.MTRS.
C-3	134.39 SQ.MTRS.
C-4	137.20 SQ.MTRS.
TOTAL AREA	608.35 SQ.MTRS.

IN. COM. PLOT	AREA (SQ.MTRS.)
I-1	10.61 SQ.MTRS.
I-2	12.95 SQ.MTRS.
I-3	11.70 SQ.MTRS.
I-4	13.52 SQ.MTRS.
I-5	12.77 SQ.MTRS.
I-6	10.24 SQ.MTRS.
I-7	10.70 SQ.MTRS.
I-8	12.26 SQ.MTRS.
I-9	14.43 SQ.MTRS.
PARKING/ PASSAGE	194.99 SQ.MTRS.
TOTAL AREA	304.17 SQ.MTRS.

RES.PLOT	AREA (SQ.MTRS.)
1	168.15 SQ.MTRS.
2	159.20 SQ.MTRS.
3	159.07 SQ.MTRS.
4	153.53 SQ.MTRS.
5	153.53 SQ.MTRS.
6	153.53 SQ.MTRS.
7	153.53 SQ.MTRS.
8	153.53 SQ.MTRS.
9	218.64 SQ.MTRS.
10	186.05 SQ.MTRS.
11	116.20 SQ.MTRS.
12	116.20 SQ.MTRS.
13	116.20 SQ.MTRS.
14	116.20 SQ.MTRS.
15	116.20 SQ.MTRS.
16	116.20 SQ.MTRS.
17	116.20 SQ.MTRS.
18	116.20 SQ.MTRS.
19	136.79 SQ.MTRS.
20	136.79 SQ.MTRS.
21	116.20 SQ.MTRS.
22	116.20 SQ.MTRS.
23	116.20 SQ.MTRS.
24	116.20 SQ.MTRS.
25	116.20 SQ.MTRS.
26	116.20 SQ.MTRS.
27	116.20 SQ.MTRS.
28	116.20 SQ.MTRS.
29	186.05 SQ.MTRS.
30	186.05 SQ.MTRS.
31	116.20 SQ.MTRS.
32	116.20 SQ.MTRS.
33	116.20 SQ.MTRS.
34	116.20 SQ.MTRS.
35	116.20 SQ.MTRS.
36	116.20 SQ.MTRS.
37	116.20 SQ.MTRS.
38	116.20 SQ.MTRS.
39	136.79 SQ.MTRS.
40	136.79 SQ.MTRS.
41	116.20 SQ.MTRS.
42	116.20 SQ.MTRS.
43	116.20 SQ.MTRS.
44	116.20 SQ.MTRS.
45	116.20 SQ.MTRS.
46	116.20 SQ.MTRS.
47	116.20 SQ.MTRS.
48	116.20 SQ.MTRS.
49	186.05 SQ.MTRS.
50	153.85 SQ.MTRS.

51	108.20 SQ.MTRS.
52	113.89 SQ.MTRS.
53	110.85 SQ.MTRS.
54	114.57 SQ.MTRS.
55	113.71 SQ.MTRS.
56	108.00 SQ.MTRS.
57	110.48 SQ.MTRS.
58	112.77 SQ.MTRS.
59	114.75 SQ.MTRS.
60	143.06 SQ.MTRS.

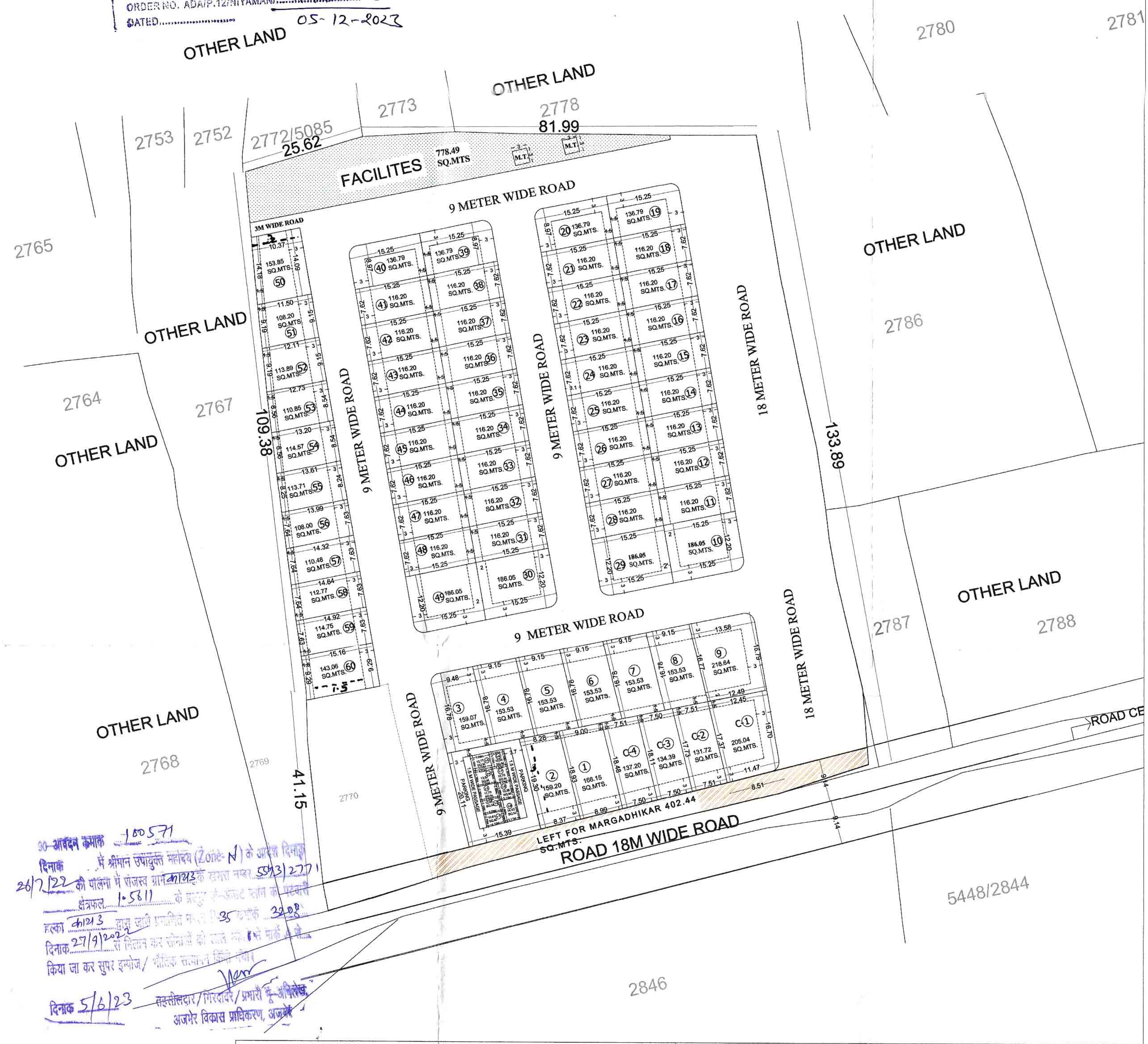

AREA ANALYSIS			
S.NO.	AREA NAME	IN SQ.YDS.	IN SQ.MTS.
A	LAND AREA OF KH. NO. 2771	18670.90	15611.25
	AREA LEFT FOR ROAD	481.31	402.44
	NET AREA OF PLOT	18189.59	15208.81

AREA ANALYSIS				
S.NO.	AREA NAME	IN SQ.YDS.	IN SQ.MTS.	PERCENTAGE
1	RESIDENTIAL	9312.69	7786.60	51.19 %
2	FORMAL COMM.	727.58	608.35	4.00%
3	INFORMAL COMM.	363.78	304.17	2.00%
4	FACILITIES	931.06	778.49	5.11 %
5	ROAD AREA	6854.45	5731.20	37.70 %
	TOTAL AREA	18189.59	15208.81	100 %

ARCHITECT
PARAG JAIN
B.ARCH., C.O.A.
7, SHARDA ENCLAVE, ASHOK MARG
AJMER, M.No. +(91) 8696628348
Email- contact@rkconstructions.info

ARCHITECT

Rehana Anjum Fatima Shafey Syed Abdul Rehman

APPLICANT

D.MAN	JEN	PATWARI	TEHSILDAR	A.T.P	DY. COMMISSIONER	DIRECTOR PLANNING
				सहायक नगर नियोजक अ.वि.प्रा. अजमेर	उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	निदेशक आयोजना अ.वि.प्रा., अजमेर

PROPOSED LAYOUT PLAN SHOWING PLOT ON PART OF KH. NO. 2771, SITUATED AT REV. VILLAGE KAYAD, AJMER

BELONGS TO - 1.) REHANA WASEY W/O SYED ABDUL WASEY 2.) ANJUM FATIMA W/O SYED SHAHID MOINI, 3.) AZIZ WASEY S/O SYED ABDUL WASEY 4.) SYED ABDUL REHMAN S/O SYED ABDUL WASEY 5.) SYED ABDUL SHAFEY S/O SYED ABDUL WASEY

IN-RJ04857006685589X

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

₹650

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-RJ04857006685589X
Certificate Issued Date	:	29-Apr-2025 04:07 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3269604/ AJMER/ RJ-AJ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ326960493032952128172X
Purchased by	:	AZIZ WASEY AND OTHERS
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	AZIZ WASEY AND OTHERS
Second Party	:	AZIZ WASEY AND OTHERS
Stamp Duty Paid By	:	AZIZ WASEY AND OTHERS
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	500 (Five Hundred only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	50 (Fifty only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	50 (Fifty only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.)	:	50 (Fifty only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	650 (Six Hundred And Fifty only)

NOTARY
SATYENDRA KUMAR
ADVOCATE
AJMER (RAJ.)
Reg. No. 12131
Valid upto
22-11-2026
GOVT OF INDIA

29/4/2025

SATYENDRA KUMAR
NOTARY PUBLIC, AJMER

प्रतिलिपि प्रमाणित
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर

₹650

IN-RJ04857006685589X

SHCIL

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

प्रतिलिपि प्रमाणित
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर

शपथ पत्र

हम, अजीज वासे पुत्र सय्यद अब्दुल वासे, सय्यद अब्दुल शाफे पुत्र सय्यद अब्दुल वासे, सय्यद अब्दुल रहमान पुत्र सय्यद अब्दुल वासे, रेहाना वासे पत्नी सय्यद अब्दुल वासे, अंजुम फातिमा पत्नी सय्यद शाहिद मोइनी निवासीगण शोरग्रान मोहल्ला, अजमेर (राज) शपथपूर्वक बयान करते हैं कि:—

1. यह कि ग्राम कायड़ के खसरा संख्या 2771 जिसका कुल क्षेत्रफल 15208.81 वर्ग मीटर है, जिसकी खातेदारी हमारी स्वयं की है जिसका नियमन अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा मांग पत्र क्रमांक : प्राधिकरण/प.12/नियमन/23—24/1110 दिनांक 4—7—2023 के अनुसार आन्तरिक विकास राशि छोड़कर सम्पूर्ण राशि जमा करा दी गई है। जिसके पश्चात् अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05—12—2023 को उक्त नियमन से सम्बन्धित ले आउट प्लान जारी किया गया।
2. यह कि आंतरिक विकास कार्य हमारे द्वारा ही कराया जायेगा एवं उसकी समस्त जिम्मेदारी हमारी स्वयं की होगी।
3. यह कि आंतरिक विकास कार्य करने की एवज में उक्त ले—आउट के 12.5 प्रतिशत (कुल 09 भूखण्डों) को सुरक्षित रखा जावे।

भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
5	153.53
6	153.53
7	153.53
8	153.53
34	116.20
35	116.20
36	116.20
37	116.20
38	116.20
कुल 09	1195.12

NOTARY
...NDRA KUMAR SINGH
NOTARIAL
AJMER (Raj.)
Reg. No. 12131
Valid upto 22-11-2026
GOVT. OF INDIA

29/5/2025
...YENDRA KUMAR SINGH
NOTARY PUBLIC, AJMER

प्रतिलिपि प्रमाणित
उपायुक्त
अजमेर विकास प्रा...
अजमेर

4. यह कि आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर लिये जाने पर इन भूखण्डों का पट्टा, लीज डीड विलेख ए.डी.ए. द्वारा जारी कर दिया जायेगा।

1. SAAziz
2. Shafey
3. Syed ABDul Rehman
4. Rehana
5. Anjum Fatima

अजमेर

दिनांक 29—04—2025

शपथकर्तागण

सत्यापन

हम उक्त नामांकित शपथकर्ता सत्यापित करते हैं कि उक्त शपथ पत्र की चरण संख्या 1 से 4 हमारी निजी जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य है।

1. SAAziz
(अजीज वासे)
2. Shafey
(सय्यद अब्दुल शाफे)
3. Syed ABDul Rehman
(सय्यद अब्दुल रहमान)
4. Rehana
(रेहाना वासे)
5. Anjum Fatima
(अंजुम फातिमा)

अजमेर

दिनांक 29—04—2025

शपथकर्तागण

NOTARY
SATYENDRA KUMAR SINGH
ADVOCATE
AJMER (Raj.)
Reg No. 12131
Valid upto
22-11-2026
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
29/5/2025
(SATYENDRA KUMAR SINGH)
NOTARY PUBLIC, AJMER

प्रतिलिपि प्रमाणित
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर

सेवा में,   दिनांक 03/06/2025

श्रीमान उपायुक्त महोदय (अजमेर-उत्तर)

अजमेर विकास प्राधिकरण,

अजमेर, राजस्थान।

विषय : **खसरा संख्या 2771 , ग्राम कायड़ के आन्तरिक कार्य की समयावधि बढ़ाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि राजस्व ग्राम कायड़ के खसरा संख्या 2771 कुल क्षेत्रफल 15611.25 वर्गमीटर भूमि का आवासीय योजना हेतु लेआउट प्लान को भवन मानचित्र समिति की 03/2023 वीं बैठक दिनांक 10/05/2023 में प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदपश्चात दिनांक 05/12/2023 को उक्त ले-आउट का नक्शा एवं पत्र जारी किया गया जो संलंगित है।

श्रीमान से निवेदन है कि उक्त आवासीय योजना में कुछ आंतरिक कार्य शेष रह गया है, जिसको पूरा करने हेतु इस आवेदन को स्वीकार कर आंतरिक कार्य की समयावधि 18 माह बढ़ाने की कृपा करें।

संलंगितदस्तावेज़:

1. लेआउट की प्रति।
2. ले आउट पत्र की प्रति।
3. आधार कॉर्ड की प्रति।

03-6-25

आवक जावक शाखा
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर

सधन्यवाद,

अज़ीज़ वासे
email: arsdrj01@gmail.com
Mobile:**9828224596**
सय्यद अब्दुल शाफे
सय्यद अब्दुल रहमान
रेहाना वासे
अंजुम फातिमा

Add: 32/134 अज़ीज़ महल, इमाम बाड़ा शोरगरान मोहल्ला, अजमेर-01 राजस्थान।